राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामावतार बनाम सरोज देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	53/2022	
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणात्मक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 128/0.49, 134/2.21, 139/0.23, 140/0.59, 141/0.77, 186/0.01, 187/1.66, 199/0.03, 200/1.40 कुल किता 09 कुल रकबा 7.39 वाकै मौजा महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार मामराज पुत्र चुना थे व 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 04 है। मामराज पुत्र चुना की मृत्यू हो गई जिनकी मृत्यू के उपरांत उनके हिस्से की उक्त भूमि पर उनके वारिसान उनकी लडकियां वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 व लडके प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्त्री प्रतिवादी संख्या 03 हुई जिनका उक्त आराजी पर 1/14-1/14 हिस्सा है एवं उसी अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर बतौर खातेदार कास्तकार काबिज है। वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने शादी के उपरांत अपने ससुराल रहती है एवं समय समय पर ग्राम रघूनाथपुरा आकर अपनी भूमि की सार सम्भाल कर करती रहती है। वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण के ससुराल रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारियों से मिलकर मामराज की फौतगी के उपरांत उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण की जगह अकेले अपना नाम दर्ज करवा लिया। वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण ने अनकों बार प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 को उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु कहा परंतु गत सप्ताह साफ इंकार हो गये। आराजी हाल खसरा नम्बर 128/0.49, 134/2.21, 139/0.23, 140/0.59, 141/0.77 186/0.01, 187/1.66, 199/0.03, 200/1.40 कुल किता 09 कुल रकबा 7.39 वाकै मौजा महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली में से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम हटाया जाकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 09 को 1/7-1/7 दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 27/12/2021 पारित करते हुये आराजी हाल खसरा नम्बर 128/0.49, 134/2.21, 139/0.23,	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

समावतार **बनाम** **सरोज देवी**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

140/0.59, 141/0.77, 186/0.01, 187/1.66, 199/0.03, 200/1.40 कुल किता 09 कुल रकबा 7.39 वाके मौजा महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 03 का नाम कमलजन किया जाकर वादिया, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 लगा. 09 को हिस्से 1/7-1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील एवं दौराने बहस केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओ एवं तामील के बिन्दु को उठाते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है, जबकि स्वयं अपीलार्थी द्वारा वादिया/रेस्पो. का अपने पिता मामराज की पुत्री होने यानि अपनी सगी बहन होने से अपील अथवा बहस के दौराने ईन्कार नही किया गया है। चूंकि वादिया/रेस्पो. द्वारा अपने पिता मामराज की सम्पत्ति को पित्तृकता के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु प्रश्नाधीन वाद पेश किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों के परिक्षण उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से स्वीकार किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27/12/2021 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर